न्यूज़ टुडे

प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली (SRS) रिपोर्ट 2021 जारी की गई

SRS हर साल भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में **भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा किया जाने वाला एक बड़ा जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है।**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **मातृ मृत्यु दर (MMR):** यह 2014-16 के प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर **2019-21 में 93 हो गई।** (SDG 2030 का लक्ष्य 70 या उससे कम करना है)
- **बाल मृत्यु दर**
  - **नवजात मृत्यु दर (NMR):** यह 2014 के 26 से घटकर **2021 में 19 हो गई है।** (SDG 2030 का लक्ष्य 12 या उससे कम करना है)
  - **शिशु मृत्यु दर (IMR):** यह 2014 के 39 से घटकर **2021 में 27** हो गई है।
  - **पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR):** यह 2014 के 45 से घटकर **2021 में 31** हो गई। (SDG 2030 का लक्ष्य 25 या उससे कम करना है)
- **जन्म के समय लिंगानुपात:** यह 2014 के 899 से बढ़कर 2021 में **913** हो गया है।
- **कुल प्रजनन दर (TFR):** यह 2021 में **2.0** हो गई है। यह 2014 में 2.3 थी।
  - **बिहार** में सबसे अधिक **TFR 3.0** दर्ज की गई है।
- **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा:** यह **2017-21** की अवधि के लिए **69.8 वर्ष** हो गई है, जो 2016-20 से **0.2 वर्ष की गिरावट** को दर्शाती है।
  - **पुरुषों** के लिए जीवन प्रत्याशा **68.2 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 71.6 वर्ष** है।
- **अन्य: 15-59 वर्ष** के बीच आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी का अनुपात **66.2%** तक पहुंच गया है।

प्रमुख संकेतकों की परिभाषा

- **मातृ मृत्यु दर (MMR):** यह किसी निश्चित समयावधि के दौरान प्रति 100000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या होती है।
- **शिशु मृत्यु दर (IMR):** यह प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर जन्म से 1 वर्ष तक के शिशुओं की मृत्यु की संख्या होती है।
- **नवजात मृत्यु दर (NMR):** यह प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर जन्म से 29 दिन तक नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या होती है।
- **पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR):** यह प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर जन्म से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों की मृत्यु की संख्या होती है।
- **कुल प्रजनन दर (TFR):** यह एक महिला द्वारा उसके जनन काल के दौरान जन्म देने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुष्प्रचार मनोवैज्ञानिक युद्ध को बढ़ावा दे रहा है

ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही **गलत जानकारी या दुष्प्रचार से निपटने के प्रयास** तेज कर दिए हैं।

- **दुष्प्रचार (Disinformation)** का अर्थ है **झूठे व भ्रामक या दोनों प्रकार के कंटेंट** को जानबूझकर क्रिएट करना और प्रसार करना। वहीं **गलत जानकारी (Misinformation)** अनजाने में इस तरह के कंटेंट का प्रसार होता है।

मनोवैज्ञानिक युद्ध (Psychological Warfare - PSYWAR) क्या है?

- यह युद्धों या भू-राजनीतिक तनावों के समय में **प्रोपेगेंडा, धमकी और अन्य गैर-सैन्य रणनीतियों** के योजनाबद्ध तरीके से उपयोग को कहते हैं। इसका उद्देश्य दुश्मन को गुमराह करना, डराना और मानसिक रूप से कमजोर करना होता है।
  - **उदाहरण के लिए:** दुश्मन को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करने वाले **पर्चे वितरित** करना या जनमत को प्रभावित करने हेतु **सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाना।**
- **लक्ष्य:** बिना प्रत्यक्ष युद्ध में उलझे शत्रु के संकल्प, एकता और प्रभावशीलता को कमजोर करना।
- **मनोवैज्ञानिक युद्ध में प्रयुक्त प्रोपेगेंडा के तीन प्रकार:**
  - **व्हाइट प्रोपेगेंडा:** इसमें जानकारी सच्ची होती है, हालांकि आंशिक तौर पर पक्षपात भी होता है।
  - **ग्रे प्रोपेगेंडा:** इसमें जानकारी अधिकांशतः सत्य होती है और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता जिसे गलत साबित किया जा सके।
  - **ब्लैक प्रोपेगेंडा:** इसमें जानकारी पूरी तरह झूठी होती है और उसे झूठे स्रोतों से जोड़ा जाता है।

मनोवैज्ञानिक युद्ध के प्रभाव:

- **जनता के विश्वास को कमजोर करना:** जैसे कि झूठी कहानियाँ बनाई जाती हैं, ताकि आधिकारिक रिपोर्ट्स पर संदेह उत्पन्न हो।
- **सैन्य सफलता सुनिश्चित करना:** जैसे आत्मसमर्पण को बढ़ावा देने वाले पर्चे वितरित कर अपनी सैन्य कार्रवाई को सफल बनाया जाता है।
- **ध्रुवीकरण और घबराहट पैदा करना:** दुष्प्रचार समाज में विभाजन पैदा करता है और एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई में बाधा डालता है।

मनोवैज्ञानिक युद्ध में प्रयुक्त रणनीतियां

- **प्रोपेगेंडा का प्रसार:** दुश्मन सेना का **मनोबल गिराना** और उनकी **जीत की संभावनाओं पर संदेह पैदा** करना।
- **धमकी देना और भय पैदा करना:** शत्रु के मनोबल और निर्णय-क्षमता को प्रभावित करने के लिए भय उत्पन्न करना।
- **सामाजिक विभाजनों या तनावों का दुरुपयोग:** समाज में व्याप्त जातीय/नृजातीय, सांस्कृतिक या राजनीतिक विभाजन का फायदा उठाना।
- **साइबर-मनोवैज्ञानिक युद्ध:** जनमत को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना।

RBI ने भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निर्देश, 2025 जारी किए

इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना, डेटा पारदर्शिता सुनिश्चित करना और ज़िम्मेदारपरक डिजिटल ऋण (लेंडिंग) पद्धतियों को बढ़ावा देना है।

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर

- **डिजिटल ऋण की परिभाषा:** इसे डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा दूरस्थ और स्वचालित ऋण प्रक्रिया के जरिये ग्राहकों को जोड़ने, ऋण का आंकलन करने, ऋण अनुमोदन, ऋण प्रदान और वसूली करने आदि के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **ये दिशा-निर्देश अग्रलिखित पर लागू होते हैं:** वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी)/ राज्य/ केंद्रीय सहकारी बैंक, NBFC (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान।
- **डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLAs) की अनिवार्य रिपोर्टिंग:** सभी वैध डिजिटल लेंडिंग ऐप्स का RBI के केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण होगा, ताकि एक पारदर्शी सार्वजनिक सूची बनाई जा सके।
- **समुचित सावधानी बरतना:** वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण सेवा प्रदाताओं (LSPs) की तकनीकी क्षमताओं, डेटा को गोपनीय रखने की उनकी क्षमता, ऋण लेने वाले की गतिविधियों और नियमों के अनुपालन पर निगरानी रखनी चाहिए।
  - LSP वस्तुतः वित्तीय संस्था की ओर से डिजिटल लेंडिंग संबंधी कार्य निष्पादन करता है।
- **उधारकर्ताओं के लिए प्रकटीकरण:** वित्तीय संस्थाओं और LSPs को उधारकर्ताओं को सभी जरूरी जानकारी जैसे नियम व शर्तें, गोपनीयता नीति आदि स्पष्ट रूप से बतानी होगी, ताकि उधारकर्ता सही निर्णय ले सकें।
- **शिकायत निवारण अधिकारी:** इसे डिजिटल ऋण-संबंधी शिकायतों और मुद्दों का समाधान करने के लिए LSPs द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

डिजिटल लेंडिंग पर RBI दिशा-निर्देशों की जरूरत क्यों पड़ी:

- **बहुत ज़्यादा ब्याज दरें और छिपे हुए शुल्क:** कुछ प्लेटफॉर्म्स जानकारी की कमी का फायदा उठाकर उधारकर्ताओं से अत्यधिक ब्याज और छिपे हुए शुल्क वसूलते हैं।
- **ऋण वसूली के अनैतिक तरीके:** कई मामलों में वसूली एजेंटों द्वारा डराना, धमकाना और मानसिक उत्पीड़न जैसी घटनाएं सामने आई हैं।
- **अविनियमित और फर्जी ऐप्स का बढ़ना:** बिना किसी निगरानी के काम करने वाले कई डिजिटल लेंडिंग ऐप्स ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है।
- **गलत तरीके से उत्पाद बेचना:** कई बार उधारकर्ताओं को पूरी जानकारी नहीं दी जाती या उन्हें उनके लिए अनुपयुक्त ऋण विकल्प भी प्रदान किए जाते हैं।
- **डेटा गोपनीयता का उल्लंघन:** तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं द्वारा उधारकर्ताओं की संवेदनशील जानकारी के गलत तरीके से उपयोग की आशंका रहती है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण हेतु निर्देश जारी किए

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने **पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को खेतों में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु निर्देश** जारी किए हैं। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले** में दिए गए निर्णय के अनुसरण में जारी किए गए हैं।

- CAQM की स्थापना **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में समन्वय करने और इनके समाधान** के लिए की गई है।

CAQM के मुख्य निर्देशों पर एक नजर

- **विशेष 'पराली सुरक्षा बल (Parali Protection Force)' का गठन:** इस बल में पुलिस अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी आदि शामिल होंगे।
- **ईंट भट्ठों में धान के भूसे की पेलेट्स/ ब्रिकेट्स की को-फायरिंग अनिवार्य करना:** इसे थर्मल पावर प्लांट्स की तर्ज पर लागू किया जा सकता है।
- **सभी गांवों में प्रत्येक खेत की मैपिंग करना:** इसका उद्देश्य **पराली से निपटने के प्रस्तावित तरीकों को अपनाना** है। इन तरीकों में **फसल विविधीकरण** यानी अन्य फसलों की खेती को अपनाना; खेतों में ही पराली का अन्य तरीके से उपयोग करना, आदि शामिल हैं।
- **धान के पुआल (डंठल) की खरीद के लिए निर्धारित दर तय करना:** पंजाब और उत्तर प्रदेश को हरियाणा की तर्ज पर एक समान दर निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है।
- **खेत से बाहर यानी अन्य जगह (Ex-situ) पराली के उपयोग को बढ़ावा देना:** इसके लिए बेलर, रेकर और अन्य मशीनों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए।
- **अन्य निर्देश:**
  - रीयल-टाइम और निरंतर डेटा रिपोर्टिंग हेतु एक **ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म** शुरू करना चाहिए।
  - **फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों की सूची** की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए।

फसल अवशेष जलाने के दुष्प्रभाव

फसल अवशेष जलाना → उत्सर्जन → जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा; स्वास्थ्य को नुकसान

उत्सर्जन → पोषक तत्वों की हानि → मृदा की उर्वरता में कमी

रक्षा मंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया

यह सुविधा **उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे** का एक **महत्वपूर्ण हिस्सा है।**

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में

- यह एक **लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल** प्रणाली है।
  - **क्रूज मिसाइल जेट इंजन** द्वारा संचालित होती है।
  - **सुपरसोनिक मिसाइल** की रेंज **2-3 मैक** होती है।
- इसे **DRDO और रूस के NPOM** के बीच एक संयुक्त उद्यम **ब्रह्मोस एयरोस्पेस** द्वारा विकसित किया गया है।
  - इसका नाम **ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों** के नाम पर रखा गया है।
- **इसकी प्रमुख विशेषताएँ**
  - यह **'दागो और भूल जाओ के सिद्धांत'** पर काम करती है तथा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्षेप-पथ को अपनाती है।
  - **दो चरणों वाली मिसाइल**
    - **पहला चरण: ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन** पर आधारित।
    - **दूसरा चरण: लिक्विड रैमजेट इंजन, क्रूज चरण में** मिसाइल की गति को लगभग **मैक 3** तक पहुंचा देता है।
  - **रेंज:** 290 किमी।
  - **संस्करण: ब्रह्मोस NG मिसाइल।** यह ब्रह्मोस मिसाइल का हल्का, छोटा और ज्यादा घातक संस्करण है।
  - **अन्य:** स्टील्थ प्रौद्योगिकी (रडार द्वारा पता लगाना कठिन), एक दम सटीक निशाना लगाने की क्षमता, आदि।
- **लाभ**
  - **यूनिवर्सल मिसाइल: इसे जमीन, समुद्र और हवा** से भी दागा जा सकता है।
  - **निर्यात की संभावना:** उदाहरण के लिए भारत ने **2024 में फिलीपींस को ब्रह्मोस की आपूर्ति** की थी।
  - **अन्य:** लक्ष्यों पर केन्द्रित हमला और बहुत कम समय में लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता आदि।

भारत के रक्षा औद्योगिक गलियारे के बारे में

- भारत में **दो रक्षा औद्योगिक गलियारों (Defence Industrial Corridors - DICs)** की स्थापना की जा रही है:
  - **उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा:** इसमें छह नोडल बिंदु शामिल हैं: **आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ।**
  - **तमिलनाडु रक्षा गलियारा:** इसमें पांच नोडल बिंदु शामिल हैं: **चेन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सेलम और तिरुचिरापल्ली।**
- **उद्देश्य:** रक्षा और एयरोस्पेस से संबंधित वस्तुओं या साधनों आदि के **स्वदेशी उत्पादन** को बढ़ावा देना।

अन्य सुर्ख़ियां

सेफ हार्बर

केंद्र सरकार **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए 'सेफ हार्बर' की अवधारणा** लागू करने पर विचार कर रही है।

सेफ हार्बर के बारे में

- सेफ हार्बर एक कानूनी अवधारणा है। यह व्यवस्था उन वेबसाइट्स को कानूनी जवाबदेही से सुरक्षा प्रदान करती है, जिन पर कोई थर्ड पार्टी यूजर गैर-कानूनी कंटेंट पोस्ट करता है या साझा करता है।
- **जरूरत क्यों है:**
  - **ऑनलाइन इनोवेशन को प्रोत्साहित** करने के लिए, और
  - वेबसाइट्स के संचालकों को **उन कंटेंट्स के लिए अनुचित रूप से जिम्मेदार ठहराए जाने से बचाना, जिसे उन्होंने स्वयं प्रकाशित नहीं** किया है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79:** भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मध्यवर्तियों को ऐसी सुरक्षा प्रदान करती है।
  - हालांकि, यदि किसी मध्यवर्ती को उसकी वेबसाइट पर गैर-कानूनी कंटेंट की "वास्तविक जानकारी" प्राप्त होती है और वह निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे हटाने की कार्रवाई नहीं करता, तो **वह यह कानूनी सुरक्षा खो सकता है।**

लाफोरा रोग

एक नए अध्ययन में **लाफोरा रोग के उपचार** में आशा की किरण जगाई है।

लाफोरा रोग के बारे में

- यह एक **दुर्लभ, जानलेवा** और गंभीर **आनुवंशिक विकार** है, जो **मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित** करता है।
- यह **ऑटोसोमल रिसेसिव प्रोग्रेसिव मायोक्लोनस एपिलेप्सी (PME) बीमारियों के समूह में से एक है।**
  - इन रोगों के कारण **दौरे पड़ते हैं, मोटर स्किल की हानि** होती है, तथा **मानसिक क्षमता में गिरावट** आती है।
- **आनुवंशिक कारक:** यह **EPM2A या EPM2B (NHLRC1) जीन** में उत्परिवर्तन के कारण होता है।
- **व्यापकता:** यह मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होता है, जहां **रक्त-संबंधी विवाह (करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह)** अधिक आम हैं।
  - विशेषकर **भूमध्यसागरीय देशों (स्पेन, इटली व फ्रांस), उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में।**

इंडियन ग्रे वुल्फ

महाराष्ट्र की कडबनवाडी घासभूमि में एंडेंजर्ड इंडियन ग्रे वुल्फ पाए जाते हैं। हालिया दिनों में **कुत्तों के हमलों ने उन्हें और अधिक असुरक्षित** बना दिया है।

इंडियन ग्रे वुल्फ (कैनिस ल्यूपस पैलिप्स) के बारे में:

- इंडियन ग्रे वुल्फ वास्तव में **ग्रे वुल्फ की एक उप-प्रजाति** है। यह प्रजाति **दक्षिण-पश्चिम एशिया से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप** तक पाई जाती है।
  - यह **भारत के शुष्क और अर्ध-शुष्क खुले मैदानों तथा घासभूमियों का शीर्ष शिकारी** है।
- **व्यवहार:** यह प्रजाति हमेशा **छोटे झुंडों** में रहती है और **ग्रे वुल्फ की अन्य प्रजातियों की तुलना में कम आवाज करती है।**
- **संरक्षण स्थिति:**
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1** के अंतर्गत संरक्षित।
- **मुख्य खतरे:**
  - घासभूमियों का कृषि और औद्योगिक उपयोगों में इस्तेमाल होना,
  - मानवीय गतिविधियों की वजह से पर्यावासों में बदलाव आना,
  - प्राकृतिक शिकार की कमी,
  - आवारा व जंगली कुत्तों से बीमारियों का संक्रमण।

जियोट्यूबिंग

एक अध्ययन में पाया गया कि **तिरुवनंतपुरम के पूंथुरा** में जियोट्यूबिंग समुद्र तटीय कटाव को नियंत्रित करने में प्रभावी है।

जियोट्यूबिंग के बारे में

- जियोट्यूब **बड़े व पारगम्य फैब्रिक की ट्यूब होती हैं, जो ड्रेज्ड सामग्रियों या अन्य हाइड्रोलिक सामग्रियों** से भरी होती हैं।
  - जियोटेक्सटाइल फैब्रिक से जल पार हो जाता है, जबकि **ठोस कण अंदर ही फंस** जाते हैं। इससे ये अतिरिक्त जल निकासी के लिए तथा मिट्टी को कटाव से बचाए रखने के लिए प्रभावी हो जाती हैं।
- ये **ट्यूब हाई-स्ट्रेंथ, पारगम्य सामग्रियों विशेष रूप से पॉलीप्रोपीलीन से बुने हुए जियोटेक्सटाइल से निर्मित** होती हैं। इससे ये अधिक टिकाऊ हो जाती हैं और पर्यावरणीय कारकों को सहने में सक्षम हो जाती हैं।
- **महत्त्व:** यह तटीय कटाव को नियंत्रित करती है, लहर के प्रभाव को कम करती है, और समुद्र तट स्थिरीकरण को बढ़ावा देती है।

क्षेत्रीय एकीकृत बहु-आपदा पूर्व-चेतावनी प्रणाली (RIMES)

RIMES की चौथी मंत्रिस्तरीय बैठक श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित की गई। इसमें "आपदा से निपटने की तैयारी पर घोषणा-पत्र" को अपनाया गया।

क्षेत्रीय एकीकृत बहु-आपदा पूर्व-चेतावनी प्रणाली (RIMES), 2009 के बारे में:

- यह एक अंतर-सरकारी संस्था है। यह अपने सदस्य देशों को पूर्व-चेतावनी सेवाएं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियां, और क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करता है।
- यह प्रणाली 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के प्रयासों से विकसित हुई है, ताकि क्षेत्रीय पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की जा सके।
- **सदस्य:** RIMES में 22 सदस्य राष्ट्र और 26 सहयोगी राष्ट्र शामिल हैं।
- **कार्यालय:** इसका क्षेत्रीय पूर्व-चेतावनी केंद्र थाईलैंड के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्थित है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस (National Technology Day)

भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में:

- यह दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरण में किए गए सफल परमाणु परीक्षणों और स्वदेशी रूप से विकसित हल्के विमान हंसा-3 की पहली उड़ान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- भारत ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने 1974 में 'स्माइलिंग बुद्धा' के तहत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था।
- **पोखरण परमाणु परीक्षणों का महत्त्व:** इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। साथ ही, भारत ने अपनी वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता को विश्व मंच पर प्रदर्शित किया।

क्षुद्रग्रह 2024 YR4

नासा ने घोषणा की है कि इसकी कुछ संभावना है कि YR4 2032 चंद्रमा से टकरा सकता है।

क्षुद्रग्रह YR4 के बारे में

- इसे चिली में स्थित एस्ट्रोइड टेरेस्टियल-इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम (एटलस/ ATLAS) का उपयोग करके खोजा गया था।
  - एटलस में विश्व भर के कई टेलिस्कोप शामिल हैं।
- यह एक नियर-अर्थ क्षुद्रग्रह है।

क्षुद्र ग्रह के बारे में

- ये चट्टानी व वायुमंडल विहीन खगोलीय पिंड होते हैं, जो हमारे सौरमंडल के शुरुआती निर्माण के दौरान उत्पन्न अवशेष हैं।
  - इन्हें प्रायः लघु ग्रह कहा जाता है।
- अधिकांश क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
- नियर-अर्थ क्षुद्रग्रहों की परिक्रमा कक्षाएं पृथ्वी के निकट से गुजरती हैं।
  - वे क्षुद्रग्रह जो वास्तव में पृथ्वी के कक्षीय पथ को काटते हैं, उन्हें अर्थ-क्रॉसर्स कहा जाता है।

मूसा इंडेंडैमेनेंसिस (Musa indandamanensis) केला

जंगली केले की प्रजाति मूसा इंडेंडैमेनेंसिस में लगभग 4.2 मीटर लंबा फल-गुच्छ/ पुष्प-क्रम (Infructescence) दर्ज किया गया। यह किसी केले के पौधे में दर्ज किया गया अब तक का सबसे लंबा फल-गुच्छ है।

- **फल-गुच्छ (Infructescence):** यह फलों का एक समूह या गुच्छ होता है, जो एक धुरी/ तने पर उग आया होता है। इसमें एक मुख्य डंठल होता है और अक्सर शाखाओं की जटिल संरचना भी होती है।

मूसा इंडेंडैमेनेंसिस के बारे में:

- **खोज:** इसे पहली बार 2012 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कृष्णा नाला रिजर्व फॉरेस्ट के पास एक दुर्गम उष्णकटिबंधीय वन में दर्ज किया गया था।
- **विशेषताएँ:**
  - इसमें हरे रंग के विशिष्ट फूल खिलते हैं और इसका फल-गुच्छ (लक्स/ धुरी) सामान्य केले की प्रजातियों की तुलना में तीन गुना बड़ा होता है।
  - यह लगभग 11 मीटर लंबा पौधा होता है, जबकि सामान्य केले के पौधे की ऊँचाई तीन से चार मीटर होती है।

- **लाभ:** प्लांट ब्रीडर्स इस प्रजाति का उपयोग उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए एक प्राकृतिक आनुवंशिक संसाधन के रूप में कर सकते हैं।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) (राजधानी: किंशासा)

DRC के पूर्वी भाग में टांगानिका झील के तट के पास विनाशकारी बाढ़ आई।

भौगोलिक अवस्थिति:

- यह मध्य अफ्रीका में स्थित अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा अल्जीरिया है।
- **स्थलीय सीमाएं:** इसके उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य (CAR) व दक्षिण सूडान; पूर्व में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एवं तंजानिया; पश्चिम में कांगो गणराज्य (RoC) और अंगोला; तथा दक्षिण में जाम्बिया स्थित है।
- **समुद्री सीमा:** इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है।

भौतिक विशेषताएं

- **जलवायु:** उष्णकटिबंधीय, क्योंकि भूमध्य रेखा DRC से होकर गुजरती है।
- **कांगो बेसिन का हिस्सा:** कांगो बेसिन के वन लगभग 500 मिलियन एकड़ में छह देशों में फैले हैं। ये देश हैं- कैमरून, CAR, DRC, RoC, इक्वेटोरियल गिनी और गैबॉन।
  - ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ, कांगो बेसिन में दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय पीटलैंड मौजूद हैं।
- **प्रमुख नदी:** कांगो इस देश की प्रमुख नदी है और यह भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है।
- **प्रमुख खनिज:** कोबाल्ट, सोना, तांबा, कोयला, लौह अयस्क, लिथियम आदि।